कराने का अधिकारी हैं, तथा विपक्षी नं० 1 का हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड में अलग दर्ज किया जावें, तथा शेष विपक्षी नं० 2 व 3 का नाम विलोपित कराने का अधिकारी हैं।वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं विपक्षी नं० 1 के संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजीयात हैं, प्रार्थी ने विपक्षी नं० 1 को वादग्रस्त आराजीयात का बटवारा पंजीकृत हक त्याग के समय हुवे शपथ पत्र मे वर्णित अनुसार प्रार्थी का 1/2 हक हिस्सा दक्षिण दिशा का, विपक्षी नं० 1 का 1/2 हक हिस्सा उत्तरी दिशा का, मौके पर काबिज अनुसार, बटवाडा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स कराने हेतु विपक्षी नं० 1 को कहा तो विपक्षी नं० 1 टाल चाल कर रहा हैं, तथा विधिवत रुप से बटवारा कराने से इंकार हो गया है, तथा बगैर विधिवत बटवारा कराये जबरन खुर्द बुर्द कर रहन विक्रय हस्तांतरण करने पर आमादा हो रहा हैं, तथा प्रार्थी के हक हिस्से से भी इंकार हो गया हैं, तथा प्रार्थी व मौतबीरान के समझाने बुझाने पर भी नही मान रहा है, मूलवाद के निर्णय में समय लगेगा तब तक विपक्षीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का होने से वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गई । बहस के तथ्यों पर मनन किया। प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। परन्तु मौके पर विवाद होने की सम्भावना से दृष्टिगत उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः उभयपक्ष को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके मौजा बोराखेडी प०ह० बडोलीमाधोसिंह तह० निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 354 की आराजी नं० 630 रकबा 0.0100 हैक्टेयर गे०मु०चाह, आराजी नं० 631 रकबा 1.5600 हैक्टेयर कुल रकबा 1.5700 हैक्टेयर भूमि कि उभयपक्ष आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजीयात मौके कब्जे व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण की तामिल रजिस्टर्ड डाक से करवाई जावे। विपक्षीगण को कोई एतराज हो तो वे अपना पक्ष/जबाब आगामी पेशी दिनांक 01.08.2022 को उपस्थित होकर पेश करें। विपक्षीगण को उक्त आशय का हुक्म इम्तनाई चन्द रोजा जारी किया जावें। पत्रावली वास्ते जबाब दिनांक 01.08.2022 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)

13/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० होकर मूल वाद को प्रत्याहरित कर उक्त प्रार्थना पत्र से अब कोई कार्यवाही नहीं चाहते है प्रार्थना पत्र मौजूदा स्टेज पर प्रत्याहरित कर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रेकार्ड हो।